1/7/22

पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उप०।
वादी वकील ने मूल वाद में पैरवी करने से
इन्कार किया। अब इस वाद को आगे चलाने
से कोई औचित्य नहीं है। अतः इस आवेदन
की कार्यवाही इसी [illegible] की जाती
है।

पत्रावली फैसल [illegible] दाखिल
दफ्तर हो। सरकार से लगा हो।

वारीगान को और से पैरवी करने की हिदायत की गई

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.09.23 10:24:46 IST
Reason: SelfAttested